

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

डॉ. सूरज सिंह नेगी

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

39/2023/प्रा.पत्र/2023

14.06.2023

25.08.2023

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री रतनलाल जैन निवासी इम्मानुएल स्कूल के पास न्यू बस
स्टैण्ड टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स रतन लाल प्रकाश चन्द जैन घण्टाघर टोंक जिला
टोंक

2- मैसर्स रतन लाल प्रकाश चन्द जैन घण्टाघर टोंक जिला टोंक

3-श्री रजत जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन निवासी सरोली, सरोली मोड तह. दूनी जिला टोंक
राज. प्रोपरायटर मैसर्स श्री ओम फूड प्रोडक्ट्स ओम एनर्जी भारत पेट्रोल पम्प के पीछे सरोली
मोड तह. दूनी जिला टोंक राज.

4-मैसर्स श्री ओम फूड प्रोडक्ट्स ओम एनर्जी भारत पेट्रोल पम्प के पीछे सरोली मोड तह. दूनी
जिला टोंक राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की
उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपरिस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थीगण स्वयं उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 25.08.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 01.02.2023 को समय 02:00 पीएम पर मैसर्स रतन लाल प्रकाश चन्द जैन घण्टाघर
टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री रतनलाल जैन मिला, को
अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री संजय कुमार जैन ने स्वयं को मैसर्स
रतन लाल प्रकाश चन्द जैन घण्टाघर टोंक जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य
अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में
अन्य खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक के एक कट्टे में लगभग 15-20 पैकेट पैकड अवस्था में
प्रत्ये कनग 500-500 ग्राम पैक हल्दी पावडर (सरोली ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसका निरीक्षण
करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री संजय कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए
दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री संजय कुमार
जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा
एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह हल्दी पावडर



2024

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(सरोली ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर एसएम/18 एवं पैकिंग की दिनांक 18.12.2022 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500-500 ग्राम के 4 नग पॉली पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा हल्दी पावडर (सरोली ब्राण्ड) 500-500 ग्राम के 4 नग पॉली पैक को ज्यों का त्यों कागज के गत्ते के चार डिब्बों में प्रत्येक में 1-1 पैक रखकर चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3435 दर्ज किया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3435 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/514 दिनांक 23.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./216/एक्ट/2023/291 दिनांक 09.02.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया हल्दी पावडर (सरोली ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा की धारा 3(i)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया।

विक्रेता श्री संजय कुमार जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया परन्तु आवेदक के कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर बतौर वारन्टी मैसर्स श्री ओम फूड प्रोडक्ट्स ओम एनर्जी भारत पेट्रोल पम्प के पीछे सरोली मोड तह. दूनी जिला टोंक राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है एवं इसमें किसी तरह की मिलावअ नहीं है। मात्र इसके लेबल पर Use by/Expiry अंकित नहीं होने से यह मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः उक्त प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस हल्दी पावडर (सरोली



ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया हल्दी पावडर (सरोली ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.08.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय अतिरिक्त जिला न्यायालय
अतिरिक्त जिला न्यायालय
टॉक-राज0